

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला र
 प्रकरण संख्या 04/25 (अपील) शीर्षक राजसमन्व बनाम चांडी

दिनांक	कार्यवाही विवरण
<p>29/09/2025</p> <p>वि</p> <p>Adli. Karam Singh</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्त उपस्थित। अपीलान्त अधिवक्ता ने एक छाया-पत्र अपील को विद्वी करने बाबत पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलान्त अधिवक्ता ने उरण में मिली उकाट की कोई कार्यवाही नहीं चाहने तथा उरण में कार्यवाही विद्वी फरमाई जाने बाबत निवेदन किया। उरण में अपीलान्त व अपीलान्त अधिवक्ता जारी कोई कार्यवाही नहीं चाहने के मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपीलान्त की अपील इमी स्टट पर निलंबित की जाती है। पत्रावली फेरसत शुमार है, नम्बर से कम की जावे।</p> <p>सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्व</p>